

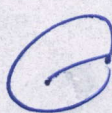
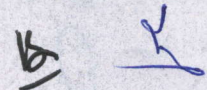
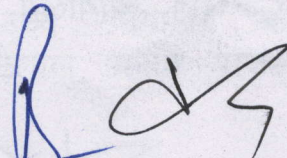
॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर॥
:: दिनांक 19.08.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 19.08.2025 को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न से अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

- | | |
|---|-------|
| 1. श्री रूपिन्दर सिंघ,
अति. महानिदेशक पुलिस,
कारागार, राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 2. श्री विक्रम सिंह,
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 3. श्री एल.आर. मीणा,
शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 4. श्री जगमोहन मित्रुका,
उप विधि परामर्शी,
महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर के निर्णय की पालना में 06 बंदियों के प्रकरण बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने पर इन प्रकरणों में से 05 प्रकरणों को समिति द्वारा अप्रवर्तित किया गया। जिनका विवरण निम्न से है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र प्रताप सिंह	के.का.अलवर	1066/2025	08.08.2025	13.08.2025
शिवराज पुत्र श्रवण लाल	वि.के.का. श्यालवास	918/2025	07.08.2025	14.08.2025
छोटेलाल पुत्र सोहनलाल	के.का.अलवर	1068/2025	08.08.2025	13.08.2025
अजय चौधरी पुत्र रामकुमार	उ.सु.का. अजमेर	1026/2025	31.07.2025	04.08.2025
लोकेश कुमार मीणा पुत्र रामनारायण	के.का.अलवर	1069/2025	08.08.2025	13.08.2025

अस्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र प्रताप सिंह, केन्द्रीय कारागृह अलवर:-

बंदी को जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01 तिजारा द्वारा प्रकरण संख्या 14/2013 अंतर्गत धारा 302/34,201/34,364/34 आई.पी.सी. में दिनांक 07.11.2015 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2025 तक 15 वर्ष 10 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

समिति के प्रकाश में आया कि बंदी दिनांक 07.03.2025 को बंदी खुला शिविर, अलवर पर रॉलकॉल से अनुपस्थित हो गया। जिस हेतु पुलिस थाना शिवाजी पार्क अलवर द्वारा अंतर्गत धारा 126,170 बी.एन.एस.एस. में बंदी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।

तत्पश्चात बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1066/2025 जितेन्द्र उर्फ जीतू बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 08.08.2025 से निर्णय प्रतिपादित किया कि "मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों में तथा विद्वान अधिवक्ता याची की सीमित प्रार्थना को देखते हुए इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि अयाचीगण/सम्बन्धित प्राधिकारीगण याची/बंदी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र जिसमें उसने खुला बंदी शिविर में भिजवाए जाने की प्रार्थना की है, का निस्तारण इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर-भीतर करना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश की प्रति योग्य लोक अभियोजक को सक्षम अधिकारी को भेजे जाने हेतु प्रदान की जावे तथा विद्वान लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की प्रति अविलम्ब सक्षम अधिकारी को प्रेषित करने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है।"

उक्त के क्रम में बंदी के प्रकरण पर विचार करने के दौरान पाया गया कि अधीक्षक जेल अलवर द्वारा बंदी को दिनांक 08.03.2025 को 04 दिवस अर्जित परिहार को जन्त करने के जेल दण्ड से दण्डित किया गया। जो कदाचार की श्रेणी में आता है। जबकि राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(छ) के तहत गत 02 वर्ष में बंदी का आचरण संतोषप्रद होना आवश्यक है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में आयोजित समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार किया जाकर राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(छ) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत बंदी को अपात्र पाये जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से दण्डित बंदी जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र प्रताप सिंह को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. दण्डित बंदी शिवराज पुत्र श्रवण लाल, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह श्यालावास:-

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश (सती निवारण प्रकरण) राजस्थान जयपुर एवं अपर सेशन न्यायालय जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा प्रकरण संख्या 11/2000



अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में दिनांक 28.06.2001 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बंदी खुला शिविर की बैठकों में विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी के आपात/नियमित पैरोल से फरार होने के कारण समिति द्वारा बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत/अग्रेषित किया गया।

तत्पश्चात बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 918/2025 शिवराज बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 07.08.2025 से प्रतिपादित किया कि "महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर में दिनांक 26.03.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक की कार्यवाही विवरण जिसके अनुसार बंदी का मामला आगामी बैठक के लिए विचार में रखे जाने का निर्णय लिया गया है, के संबंध में विभाग को निर्देशित किया है कि याची/बंदी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना-पत्र का निस्तारण आगामी बैठक में विधि अनुसार करें।" के निर्देश दिये गये।

उक्त के क्रम में बंदी के प्रकरण पर विचार करने के दौरान पाया गया कि बंदी दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में 11 वर्ष 07 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है। परन्तु बंदी दिनांक 28.01.2004 से 19.03.2004 तक आपात पैरोल एवं दिनांक 06.07.2009 से 16.11.2009 तक नियमित पैरोल से फरार रहा है। बंदी का कृत्य राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(ग) के उल्लंघन करने की श्रेणी में आता है। जबकि उक्त नियम के नियम 3(छ) के तहत बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु बंदी का कारागृह में आचरण संतोषप्रद होना आवश्यक है।

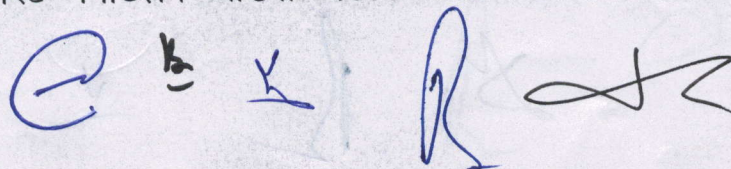
अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में आयोजित समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार किया जाकर बंदी को राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(ग)(छ) में निहित प्रावधानों के तहत अपात्र पाये जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से दण्डित बंदी शिवराज पुत्र श्रवण लाल को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

3. दण्डित बंदी छोटेलाल पुत्र सोहनलाल, केन्द्रीय कारागृह अलवर:-

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 03 अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 73/2019 अंतर्गत धारा 363,366,366ए,376डी(ए) आई.पी.सी. में दिनांक 23.03.2022 को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण दिनांक 05.06.2025 में आयोजित बंदी खुला शिविर की बैठक में विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी को प्रतिबंधित धारा 376डी(ए) आईपीसी में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) से दण्डित किये जाने के कारण समिति द्वारा बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1068/2025 छोटेलाल बनाम राजस्थान व



अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 08.08.2025 से निर्णय प्रतिपादित किया कि " पत्रावली पर मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों में तथा विद्वान अधिवक्ता याची की सीमित प्रार्थना पत्र को देखते हुए इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि अयाची गण/संबंधित प्राधिकारीगण याची/बंदी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र जिसमें उसने खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने की प्रार्थना की है, का निस्तारण इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 01 माह के भीतर-भीतर करना सुनिश्चित करे। उक्त आदेश की प्रति योग्य लोक अभियोजक को सक्षम अधिकारी को भेजे जाने हेतु प्रदान की जावे तथा विद्वान लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आदेश की प्रति अविलम्ब सक्षम अधिकारी को प्रेषित करे।" के निर्देश दिये गये।

उक्त के क्रम में बंदी के प्रकरण पर विचार करने के दौरान पाया गया कि बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में 06 वर्ष 10 माह 28 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है। परन्तु बंदी प्रतिबंधित धारा 376डी(ए) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) की सजा से दण्डित होने के कारण बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(घ) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत पात्रता अर्जित नहीं करता है।

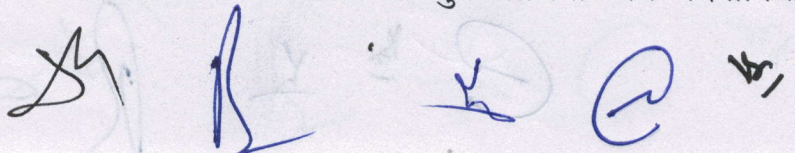
अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में आयोजित समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार किया जाकर बंदी को राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(घ) में निहित प्रावधानों के तहत अपात्र पाये जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से दण्डित बंदी छोटेलाल पुत्र सोहनलाल को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

4. दण्डित बंदी अजय चौधरी पुत्र रामकुमार, उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर:-

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फतेहपुर जिला सीकर द्वारा प्रकरण संख्या 06/2019 अंतर्गत धारा 302,307,332,353,341 आई.पी.सी. 3/25,5/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 11.07.2023 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण दिनांक 05.06.2025 में आयोजित बंदी खुला शिविर की बैठक में विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी को दिनांक 26.12.2023 को जेल दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण समिति द्वारा बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1026/2025 अजय बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 31.07.2025 से निर्णय प्रतिपादित किया कि " प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया है विद्वान अधिवक्ता द्वारा चाही गई प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए संबंधित सक्षम अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आदेश की प्रति प्राप्त होने के 01 माह की अवधि में याची बंदी द्वारा खुला शिविर में स्थानान्तरण करने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित



08.07.2025 पर संबंधित नियमों के तहत विचार कर प्रार्थना पत्र को निस्तारित करे एवं प्रार्थना पत्र की निस्तारित की सूचना से बंदी को अवगत कराया जावे। उक्त आदेश की प्रति योग्य लोक अभियोजक को सक्षम अधिकारी को भेजे जाने हेतु प्रदान की जावे तथा विद्वान लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आदेश की प्रति अविलम्ब सक्षम अधिकारी को प्रेषित करे।" के निर्देश दिये गये।

उक्त के क्रम में बंदी के प्रकरण पर विचार करने के दौरान पाया गया कि बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में 06 वर्ष 10 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है। परन्तु बंदी प्रतिबंधित धारा 332 आई.पी.सी. में दण्डित होने और दिनांक 26.12.2023 को जेल दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(घ)(छ) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत पात्रता अर्जित नहीं करता है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में आयोजित समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार किया जाकर बंदी को राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(घ)(छ) में निहित प्रावधानों के तहत अपात्र पाये जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से दण्डित बंदी अजय चौधरी पुत्र रामकुमार को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

5. दण्डित बंदी लोकेश कुमार मीणा पुत्र रामनारायण, के.का.अलवर:-

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 03 अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 73/2019 अंतर्गत धारा 363,366,366ए,376डी(ए) आई.पी.सी. में दिनांक 23.03.2022 को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2025 तक 07 वर्ष 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण दिनांक 05.06.2025 में आयोजित बंदी खुला शिविर की बैठक में विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी को प्रतिबंधित धारा 376डी(ए) आईपीसी में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) से दण्डित किये जाने के कारण समिति द्वारा बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया।

तत्पश्चात बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1069/2025 लोकेश बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 08.08.2025 से निर्णय प्रतिपादित किया कि "मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों में तथा विद्वान अधिवक्ता याची की सीमित प्रार्थना पत्र को देखते हुए इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि अयाची गण/संबंधित प्राधिकारीगण याची/बंदी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र जिसमें उसने खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने की प्रार्थना की है, का निस्तारण इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 01 माह के भीतर-भीतर करना सुनिश्चित करे। उक्त आदेश की प्रति योग्य लोक अभियोजक को सक्षम अधिकारी को भेजे जाने हेतु प्रदान की जावे तथा विद्वान लोक अभियोजक को निर्देशित किया

जाता है कि वह उक्त आदेश की प्रति अविलम्ब सक्षम अधिकारी को प्रेषित करे आदेश प्रदान किया गया है।" के निर्देश दिये गये।

उक्त के क्रम में बंदी के प्रकरण पर विचार करने के दौरान पाया गया कि बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में 07 वर्ष 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है। परन्तु बंदी प्रतिबंधित धारा 376डी(ए) आई. पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) की सजा से दण्डित होने के कारण बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(घ) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत पात्रता अर्जित नहीं करता है।

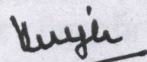
अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में आयोजित समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार किया जाकर बंदी को राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3(घ) में निहित प्रावधानों के तहत अपात्र पाये जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से दण्डित बंदी लोकेश कुमार मीणा पुत्र रामनारायण को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।



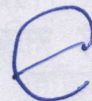
अध्यक्ष
महानिदेशक एवं
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।



सदस्य
अति.
महानिदेशक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।



सदस्य
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।



सदस्य
उप विधि
परामर्शी,
महानिदेशालय
कारागार राजस्थान,
जयपुर।



सदस्य
शासन उप
सचिव, गृह
(ग्रुप-12)
विभाग,
राजस्थान,
जयपुर।

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ॥
:: दिनांक 19.08.2025 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 19.08.2025 को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न से अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

- | | |
|---|-------|
| 1. श्री रूपिन्दर सिंह,
अति. महानिदेशक पुलिस,
कारागार, राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 2. श्री विक्रम सिंह,
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 3. श्री एल.आर. मीणा,
शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 4. श्री जगमोहन मित्रुका,
उप विधि परामर्शी,
महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर के निर्णय की पालना में 06 बंदियों के प्रकरण बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने पर इन प्रकरणों में से 01 प्रकरण को समिति द्वारा प्रवर्द्धित किया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
तुफान पुत्र नानूराम	के.का.कोटा	1667/2025	06.08.2025	08.08.2025

स्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी तुफान पुत्र नानूराम, केन्द्रीय कारागृह, कोटा :-

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 02 निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 15/2016 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी., 4/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 09.07.2019 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

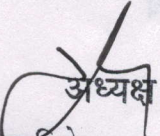
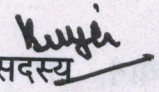
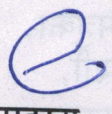
बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बंदी खुला शिविर की बैठकों में विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी के जेल दण्ड से दण्डित होने अथवा अन्य प्रकरण लम्बित होने पर समिति द्वारा बंदी का बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया।



तत्पश्चात बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1667/2025 तुफान बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 06.08.2025 से प्रतिपादित है कि "The writ petition is dismissed as having become infructuous. The respondents are directed to consider petitioner's request for transferring him to Open Air Camp in accordance with law, preferably, at an early date" के निर्देश दिये गये।

उक्त क्रम में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी दिनांक 30.06.2025 की स्थिति में 08 वर्ष 06 माह 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है तथा बंदी को दिये गये जेल दण्डादेश (दिनांक 14.08.2023) की समयावधि 02 वर्ष बैठक दिनांक 19.08.2025 तक राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3(छ) के प्रावधानुसार पूर्ण कर ली है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना तथा उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत दण्डित बंदी तुफान पुत्र नानूराम को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

 अध्यक्ष	 सदस्य आति.	 सदस्य	 सदस्य	 सदस्य
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।	उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।	शासन उप सचिव, गृह (गुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2505.80.80	2505.80.80	2505.80.80	2505.80.80	2505.80.80
------------	------------	------------	------------	------------